

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

रीडर/2023/4151

दिनांक - 31.08.2023

प्रार्थीगण
कौशलाराम 2 जसाराम 3
बगताराम पिसरान गंगाराम 4
रूगनाथराम 5 रूपाराम पिसरान
आसाराम 6 लुणाराम पुत्र रूगाराम
7 बालाराम पुत्र आसाराम 8
हेमीदेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट
निवासी कगाऊ तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 केसराराम पुत्र राउराम 2 अचलाराम पुत्र देदाराम 3
कलाराम पुत्र तुलसाराम 4 गंगाराम पुत्र मालाराम 5
गोरधनराम पुत्र देदाराम 6 चेनाराम पुत्र तुलसाराम 7
जगदीश पुत्र प्रहलाद 8 हसाराम पुत्र मलाराम 9 डालुाराम
पुत्र मदरूपाराम 10 प्रकाश पुत्र तुलसाराम 11 मुली पत्नी
प्रहलादराम 12 लाधाराम 13 ठाकराराम 14 सताराम
पिसरान मेहाराम 15 पेम्पोदेवी पत्नी मेसाराम 16 मांगीलाल
पुत्र तुलसाराम 17 मीरो पत्नी तुलसाराम 18 लाखाराम पुत्र
मलाराम 19 हरचन्द पुत्र देदाराम 20 हीराराम पुत्र
मदरूपाराम 21 नगाराम पुत्र राजुराम जाति जाट 22
खेताराम पुत्र पदमाराम 23 दमी पत्नी पदमाराम 24 नगाराम
25 नवलाराम 26 पेमाराम 27 भैराराम 28 हुकमाराम
पिसरान भीखाराम जाति भील निवासी कगाऊ 29
प्रधानाध्यापक राप्रावि कगाऊ 30 अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 283/2023

दिनांक- 25/08/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मेघवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 405/95 रकबा 07.7700 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31.08.23

क्रमांक :- रीडर/2023/4152 to 4155

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कौशलाराम पुत्र गंगाराम वगैराह जाति जाट निवासी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी केसराराम पुत्र राउराम वगैराह जाति जाट निवासी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर